## राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ ९(४)(३१) उ.मै.छा. / सान्याअवि / २०२०-२१ / 🏖 🕽 🥱

दिनांक: 29-1-2021

आदेश

महामारी कोविड—19 बीमारी के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के भौतिक संचालन, विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थी को आगामी कक्षा में प्रौन्नत किये जाने के प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने एवं शिक्षण संस्थानों की मान्यता/सम्बद्धता जारी नहीं होने के कारण विभाग के पूर्व समसंख्यक आदेश क्रमांक 55691 दिनांक 26.11.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय,राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं कि पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं कि पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं कि पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रमों से प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं कि पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र आन्वलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में निम्वानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं	विषय वस्तु	पूर्व में निर्घारित अन्तिम तिथि	नवीन निर्घारित अन्तिम तिथि
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	31 जनवरी 2021	28 फरवरी 2021

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship/ पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष न. 1800-180-6127 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

E/:letter and note sheet 2019-20/807

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

- 1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
- 2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- 4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
- 5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
- 6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- 7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / संस्कृत, बीकानेर / जयपुर।
- निदेशक, तकनीकी शिक्षा / निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
- 9. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
- 10. जिला कलेक्टर्स / कोषाधिकारी, (समस्त)।
- 11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- 12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- 13. रजिस्ट्रार / डीन / निदेशक / प्रशासक, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय / बोर्ड / काउंसिल, समस्त......।
- 14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) / संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त......
- 15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय समस्त......।
- 16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
- 17. अधीक्षक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त......।
- 18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं......।
- 19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई—मेल करवाने हेतु।
- 20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)